

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत बांदा में निर्माण कार्य सम्पन्न कराने हेतु ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष 2017-18 में कराने हेतु जिला पंचायत बांदा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिनांक-13.09.2017 तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा नवीन पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिये निविदा सीमा, हैसियत व जमानत धनराशि निम्न प्रकार से होगी-

क्र०सं०	ठेकेदारों की कैटेगरी	निर्धारित निविदा सीमा	निर्धारित हैसियत (साल्वेन्सी) सीमा	निर्धारित जमानत राशि की सीमा
1	क्लास-ए	असीमित	25,00,000	50,000
2	क्लास-बी	10 लाख तक	10,00,000	25,000
3	क्लास-सी	5 लाख तक	5,00,000	15,000
4	क्लास-डी	2 लाख तक	3,00,000	12,500

उक्त तालिका में अंकित सीमाओं के सापेक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आयकर, व्यापार कर एवं श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण तथा जिला पंचायत बांदा के लाइसेंस रसीद की छायाप्रति जमानत धनराशि के रूप में एन०एस०सी०/के०वी०पी०/एफ०डी०आर० (बंधक अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बांदा के पद नाम से) प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के पश्चात किसी भी आवेदन पत्र पर विचार संभव नहीं होगा। निर्धारित प्रारूप किसी भी समय कार्य दिवस पर कार्यालय जिला पंचायत, बांदा से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य शर्तें व जानकारी अभियन्ता, जिला पंचायत बांदा से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बांदा

कार्यालय जिला पंचायत, बांदा

पत्रांक 785/टे०पं०/2017-18/दिनांक-07/09/2017

1. मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा को सादर सूचनार्थ।
2. व्यवस्थापक, दैनिक मंदाकिनीधारा एवं दैनिक श्री इंडिया समाचार पत्र बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान पर उक्त विज्ञापित प्रकाशित कराकर दो प्रतियों में बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. अभियन्ता, जिला पंचायत, बांदा।
4. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, बांदा।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बांदा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञापित बांदा जिले की वेबसाइट में डलवाने का कष्ट करें।
6. जिला पंचायत, बांदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।



अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बांदा
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बांदा